न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह विशेष न्यायाधीश, बक्सर।

SC/ST Case No-53/2021

[नावानगर (सोनवर्षा) थानाकाण्ड सं0–154/2021]

23.07.2021 आवेदक/अभियुक्त छोटू यादव पिता भरत डाक्टर, जो दिनांक 05.07.2021 से नावानगर (सोनवर्षा) थानाकाण्ड सं0–154/2021, अन्तर्गत धारा **341, 323, 325, 379, 504, 506/34** भा0दं0वि0 एवं **3(1)(r)(s)3(2)(sa) SC/ST Act** में न्यायिक अभिरक्षा में है, की ओर से प्रस्तुत ई–मेल जमानत आवेदन दिनांक 09.07.2021 पर आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता श्री दयाशंकर पाण्डेय एवं विपक्षी विद्वान् विशेष लोक अभियोजक श्री शिवकुमार राम को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुना।

आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक पूर्णत्या निर्दोष है और उसे प्रस्तुत मामले में गॉव की गंदी राजनीति के चलते झूठा फंसाया गया है। आवेदक की ओर से पूर्व में कोई जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना में लम्बित है। आवेदक/अभियुक्त पर कोई विशेष आरोप नहीं है आवेदक दिनांक 05.07.2021 से ही न्यायिक अभिरक्षा में है, ऐसी उपरोक्त परिस्थितियों में आवेदक को जमानत पर मुक्त किये जाने की याचना करते हैं।

विद्वान् विशेष लोक अभियोजक द्वारा आवेदन उपरोक्त का सक्रिय विरोध किया गया।

प्राथमिकी एवं वाद दैनिकी के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है और उसके विरुद्ध कथित घटना दिनांक 27.04.2021 को समय करीब 06:00 बजे सायं को आवेदक/अभियुक्त व सह–अभियुक्तगण द्वारा सूचक की अंडा दूकान पर अंडा खाकर पैसा मॉगने पर सूचक से मारपीट करने व पॉकेट में रखा पॉच हजार रुपया छीन लिये जाने एवं परिवार के लोगों के साथ धक्का–मुक्की कर मारपीट करने तथा जाति सूचक गाली व धमकी दिये जाने का अभियोग है। वाद दैनिकी की कण्डिका–05 में वादी का पुनः बयान है, जिसमें उसने अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। कण्डिका–06 व 07 में साक्षीगण दीपक कुमार व चन्दन कुमार का बयान है, जिन्होंने भी कमोबेश अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। मूल केस डायरी की कण्डिका–25 व 36 में जख्मीगण का जख्म–प्रतिवेदन है, जो साधारण प्रकृति का है। वाद दैनिकी की कण्डिका–48 में आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास दर्ज न होने का उल्लेख है। आवेदक दिनांक 05.07.2021 से ही न्यायिक अभिरक्षा में है। वैश्विक महामारी कोविड–19 से उत्पन्न परिस्थितियों एवं आवेदक की न्यायिक अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक को जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अस्तु, जमानत आवेदन उपरोक्त मो0–10,000/– रुपया के व्यक्तिगत बंध–पत्र एवं उतनी ही राशि के कुल दो प्रतिभू दाखिल करने पर इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जाता है कि आवेदक अनुसंधान के क्रम में अनुसंधानकर्ता को पूर्ण सहयोग करेगा और अकारण यदि लगातार दो तिथियों पर अनुपस्थित रहता है तो उसका बंध–पत्र स्वतः खण्डित समझा जायेगा। आवेदक इस आशय का वचन–पत्र दाखिल करेगा।

कोविड–19 महामारी से उत्पन्न भयावह स्थिति के चलते यदि आवेदक जमानत बंध–पत्र दाखिल करने में स्वयं को असमर्थ पाता है तो न्यायालय उसे फिलहाल औपबंधिक रूप से 10,000/– रुपये के व्यक्तिगत बंध–पत्र पर मुक्त करेगी और वैश्विक महामारी कोविड–19 की स्थिति सामान्य होने के पन्द्रह दिनों के अन्दर जमानत बंध–पत्र दाखिल करने पर जमानत को संपुष्ट करेगी।

लेखापित

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
सह विशेष न्यायाधीश, बक्सर